दिनांक 30.03.2024
प्रेस विज्ञप्ति 33/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना रौनापार

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 30.03.2024 को थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भैसाड़ पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राहुल 2–शिवशंकर घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना रौनापार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

2–शिवशंकर निवासी ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–02 मोबाइल फोन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना मूढापाण्ड़े

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **23 अवैध नाल विभिन्न बोर**
- **08 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 29.03.2024 को थाना मूढापाण्ड़े पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सरकड़ा खास से ग्राम खैरखाता गॉव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे बन्द पड़े कमरे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त उस्मान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 23 अवैध नाल विभिन्न बोर, 08 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सम्भल, अमरोहा, मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 45 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मूढापाण्ड़े पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– उस्मान निवासी कस्बा नरौली थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–23 अवैध नाल विभिन्न बोर।

3—08 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4—01 मोबाइल फोन।

5—01 मोटर साइकिल।

6—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **17 अवैध नाल**
- **02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 30.03.2024 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 17 अवैध नाल, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आरिफ निवासी मोहल्ला सराफान कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—17 अवैध नाल।

3—02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद हापुड़/थाना गढमुक्तेश्वर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 40 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **02 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 29.03.2024 की रात्रि थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न–भिन्न स्थानों से 04 अभियुक्तों 1–नसीम उर्फ चॉदी 2–आरिफ 3–नदीम उर्फ चील 4–अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लायख रूपये कीमत के 40 किलोग्राम अवैध गांजा, 02 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नदीम उर्फ चील के विरूद्ध जनपद हापुड़, मेरठ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नसीम उर्फ चॉदी निवासी मोहल्ला फारूखनगर थाना टीला मोड़, गाजियाबाद।

2–आरिफ निवासी श्यामनगर थाना लिसाड़ी गेट थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

3–नदीम उर्फ चील निवासी मजीदनगर मेवगढ़ी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

4–अमित निवासी नन्दनगरी थाना नन्दनगरी, दिल्ली।

बरामदगी

1–लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 40 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–02 दो पहिया वाहन।

- **<u>जनपद मऊ/थाना मोहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 41,500–41,500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/325/323/352/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–केदार 2–राजेन्द्र 3–रामचन्द्र को आजीवन कारावास व 41,500–41,500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना छपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/506 के अन्तर्गत अभियुक्त शहनवाज को आजीवन कारावास व 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मीरजापुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 15 करोड़ 64 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद मीरजापुर पुलिस ने अभियुक्त महेश सोनकर पुत्र दयाराम निवासी विश्वकर्मा कालोनी महुवरिया थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 15 करोड़ 64 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 तस्कर 25 कि0ग्रा0 उच्च क्वालिटी केमिकल युक्त गांजे के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 30—03—2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 तस्करों को 25 किलोग्राम उच्च क्वालिटी केमिकल युक्त गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 25 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— आजम पुत्र मुन्ने शाह निवासी उदयपुर बन्नूजान थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

2— वकील अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी नगरिया परीक्षित हवाई अड्डा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

3— राशिद पुत्र लियाकत निवासी सैदपुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

4— तासीम खां पुत्र अफसर अली निवासी सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगीः—

1— 25 किलोग्राम अवैध उच्च क्वालिटी कैमिकल युक्त गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 25 लाख)

2— 04 अदद मोबाईल फोन।

3— 2100 / —रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः—

विलय धाम पुल के नीचे बाईं तरफ बरेली पीलीभीत रोड) थाना इज्जतनगर जनपद बरेली दिनांक 30—03—2024 समय—00.40 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों / टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर,

पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तंत्र सक्रिय किया गया ।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वनीय स्त्रोत से जानकारी प्राप्त हुयी कि बरेली पीलीभीत रोड थाना इज्जतनगर जनपद बरेली पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 04 व्यक्ति आने वाले है जिनके पास भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ होने की सम्भावना है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 श्री राशिद अली के नेतृत्व में मु0आ0 गिरिजेश पोसवाल, मु0आ0 संदीप, मु0आ0 शिवओम पाठक, मु0आ0 नितिन, आ0 संजय यादव व चालक मु0आ0 मनोज कुमार अवस्थी एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली टीम द्वारा विलय धाम पुल के नीचे बाईं तरफ बरेली पीलीभीत रोड से 25 कि0ग्रा0 उच्च क्वालिटी केमिकल युक्त गांजे के साथ 04 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया हम लोगों का एक गिरोह है, जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करता है। इस गिरोह का सरगना आजम उपरोक्त है। नरेश पण्डित निवासी गोमुहा झारखण्ड से यह लोग कैमिकल युक्त गॉजा लाते है। नरेष पण्डित इन लोगों को गोमुहा झारखण्ड रेलवे स्टेशन पर बुलाता है तथा वही पर गॉजे की खेप देता है। जिसकी यह लोग सुनील कुमार निवासी रिठौरा, जनपद बरेली एवं अन्य स्थानों पर सप्लाई करते है। यह गॉजा सामान्य गांजे से 10 गुना अधिक कीमत पर बिकता है।

गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना इज्जतनगर जनपद बरेली में मु0अ0सं0 193/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस एक्ट पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———